रोगी कल्याण समिति

1. **समिति का नाम :–** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ....

2. **समिति का विस्तारः–** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ....

3. **समिति का कार्यालयः–** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में होगा ।

4. **उद्देश्य :–**

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मुहैया कराए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना ।

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, उपकरण आदि का रख–रखाव सुनिश्चित करना ।

5. **समिति के कार्य :**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समिति के कार्य निम्नांकित होंगे :–

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य के संबंध में सामान्य पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना ।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुचारू संचालन में सहायता करना ।

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवा के गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक सुझाव देना ।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, उपकरणों के साफ–सफाई, रख–रखाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित कराना तथा अस्पताल परिसर का अतिक्रमण एवं दुरूपयोग रोकना ।

(v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि (Seed Money) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क से प्राप्त राशि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, इसके परिसर एवं उपकरणों की सफाई, रख–रखाव एवं मरम्मत तथा अन्य छोटी–मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग करना ।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोष से व्यय किए जाने वाले राशि का वित्तीय पर्यवेक्षण करना ।

(vii) किसी चिकित्सक या कर्मचारी द्वारा असंतोषप्रद कार्य संपादन या कदाचार पूर्ण कार्य किए जाने पर समिति उसकी सूचना जिला स्वा0 समिति को देगी ।

(viii) क्षोभ निवारण प्रक्रिया की निगरानी करना ।

(ix) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी के लिए ऐम्बुलेन्स की यथा सम्भव व्यवस्था करना ।

(x) गर्भवती महिलाओं एवं रूग्ण नवजात शिशुओं को अस्पताल तक पहुचाने के लिए ऐम्बुलेन्स की यथा सम्भव व्यवस्था करना ।

(xi) गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को इमरजेन्सी की हालत में मुफ्त में ऐम्बुलेन्स की यथा सम्भव व्यवस्था करना ।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव) | (अध्यक्ष)

(xii) लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य एवं विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों या अन्य गणमान्य दाताओं से अस्पताल के विकास के लिए धन एकत्र करना ।

(xiii) संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/नगर परिषद्/नगर निगम के क्षेत्रों में अधिक रोगियों को सेवा उपलब्ध कराना ।

6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के सदस्य :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के सदस्य		
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	लाभार्थियों में से नामित सदस्य(पुरुङ्ख)	सदस्य
3	लाभार्थियों में से नामित सदस्य(पुरुङ्ख)	सदस्य
4	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
5	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
6	अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव
7	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन0जी0ओ0 के एक प्रतिनिधि	सदस्य
8	अधिसूचित क्षेत्र के सदस्य	सदस्य
9	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव) (अध्यक्ष)

6.1 निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पता तथा पदनाम नीचे दिए गए हैं, वर्त्तमान कार्यकारिणी

समिति के सदस्य हैं, जिन पर संख्या के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है–

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव)   (अध्यक्ष)

6.2 निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पता, पदनाम एवं हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं,

संस्था के रुप में परिणत होने तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1860 के अंतर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं :–

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं पता	समिति में पद	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर अभिप्रमाणित (मोहर के साथ)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव)

(अध्यक्ष)

रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ....

की नियमावली

1. परिभाषा :–

(क) समिति का अर्थ होगा रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ....
..

(ख) कार्यकारिणी का अर्थ होगा रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ....

की कार्यकारिणी समिति ।

(ग) पदाधिकारी का अर्थ होगा , अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव ।

1.1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दूसरे चिकित्सक समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा । विशेष कार्य/सुझाव के लिए आवश्यकतानुसार अस्पताल कर्मचारियों को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ।

1.2. रोगी कल्याण समिति एक साधारण संकल्प द्वारा अपने सदस्यों को विभिन्न कार्यों की जिम्मेवारियां सौपेंगी ।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल :–

नामित सदस्य तीन वर्ष के लिए पद पर रहेंगे तथा नामित (Ex-Officio) सदस्यगण पदावसान होने तक पद पर रहेंगे ।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का निष्काषण :–

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति का कोई सदस्य बिना संतोषप्रद स्पष्टीकरण के समिति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो समिति द्वारा बहुमत के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी और इसके कारण हुई रिक्तियां इस नियम के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी ।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कदाचार प्रमाणित होने की दशा में समिति के प्रतिवेदन पर विचारोपरांत वे अस्पताल समिति से हटाए जा सकेंगे तथा नियमानुकुल कार्रवाई के लिए समिति जिला स्वास्थ्य समिति को अनुशंसा कर सकती है ।

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति का भंग होना :–

(i) रोगी कल्याण समिति यदि लगातार तीन तिमाही बैठक या एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें पूरे कोरम के साथ आयोजित करने में असफल रही तो समिति को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भंग किया जा सकेगा ।

(ii) रोगी कल्याण समिति यदि स्वास्थ्य सेवा गुणवता को बढ़ाने एवं अस्पताल के आवश्यक संवर्धन कराने में असफल रही तो सदस्य सचिव की अनुशंसा पर अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा के गुणवत्ता का निर्धारण, जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत गठित किए जाने वाले क्वालिटी एसोरेन्स कमिटी करेगी । जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इसे भंग किया जा सकेगा ।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव) | (अध्यक्ष)

5. रोगी कल्याण समिति विकास कोष :–

(i) रोगी कल्याण समिति, अस्पताल विकास कोष का सृजन करेगी । इस कोष का एक खाता नजदीक के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता के रूप में खोला जाएगा ।

(ii) बैंक के बचत खाता का प्रचालन संयुक्त रूप से सदस्य सचिव, रोगी कल्याण समिति एवं जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे । प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के लम्बे समय तक अनुपस्थिति की स्थिति में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रभार में रहने वाले चिकित्सा पदाधिकारी को संयुक्त रूप से खाता के प्रचालन के लिए अधिकृत होंगे ।

(iii) सेवा शुल्क से प्राप्त राशि अस्पताल विकास कोष में जमा कराया जाएगा ।

(iv) रोगी कल्याण समिति विधायक, सांसद एवं अन्य दाताओं से बिना शर्त एवं विधि सम्मत स्रोतों से चंदा की राशि प्राप्त करने एवं अस्पताल विकास कोष में जमा कराने हेतु सक्षम होगी ।

(v) रोगी कल्याण समिति के आय–व्यय का अंकेक्षण चार्टड एकाउन्टेन्ट/ए0जी0 के अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा ।

6. रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का क्षमता विकास :–

रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएगें :–

(i) रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन जिला स्तर पर प्रत्येक छः माह में किया जाएगा जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा । इसका आयोजन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उपलब्ध मद से करेगें ।

(ii) रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास हेतु जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएगें ।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(सदस्य सचिव) (अध्यक्ष)

7. रोगी कल्याण समिति की बैठक :–

(i) समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार बुलाना आवश्यक होगा ।

(ii) *समिति की बैठक में निम्नलिखित कार्यक्रमों का निष्पादन होगा :–*

क प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समिति द्वारा एकत्र राशि को खर्च करने के लिए बनाये गये कार्य योजना का अनुमोदन करना एवं उस राशि में से खर्च की गई राशि की समीक्षा करना ।

ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगियों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था हेतु विचार विमर्श करना ।

ग आगामी वर्ष के लिए बजट स्वीकृत करना ।

घ गतवर्ष के कालावधि में अस्पताल के विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हुए उन्नयन की समीक्षा करना तथा पूरक प्रस्तावों का अनुमोदन करना ।

ड. अध्यक्ष की सहमति से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. नियम बनाने की शक्ति :–

रोगी कल्याण समिति के प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत करेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सत्यलिपि है ।

****

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(सदस्य) (सदस्य सचिव) (अध्यक्ष)